आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-241/2021 - 3389

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक - 31.8.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021— मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 131 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किए गए हैं। उक्त धारा का अवतरण निम्नवत् है:-

> "131. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी ––(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपकम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।
>
> (2) उप धारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।
>
> (3) यदि कोई नियोक्ता खंड (1) या खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पॉच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
>
> (4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र/प्रखंडों में (संलग्न सूची के अनुसार) सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है, जिससे कि राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश अपने स्तर से शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-241/2021 3389 पटना, दिनांक – 31.8.21

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-241/2021 3389 पटना, दिनांक – 31.8.21

प्रतिलिपि सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-241/2021 3389 पटना, दिनांक – 31.8.21

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-241/2021 3389 पटना, दिनांक – 31.8.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

31.8.21

D:\Sanjeev sir\P E 2021\22